रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092024-257560
CG-DL-E-27092024-257560

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 558] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2024/आश्विन 5, 1946
No. 558] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2024/ASVINA 5, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2024

संख्या 44/2024-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 600(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 25 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 27/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 01 मार्च, 2011, जो संख्यांक सा.का.नि. 153(अ), दिनांक 01 मार्च, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(i) क्रम संख्या 6 के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंत:स्थापित की जाएंगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“6क.	1006 10 90	भूसी में चावल (धान या खुरदुरा)	10%
6ख.	1006 20 00	भूसी (भूरा) चावल	10%
6ग.	1006 30 10	चावल, पारबॉयल्ड	10%”;

(ii) क्रम संख्या 7 के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंत:स्थापित की जाएंगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“7क.	1006 30 90	अर्द्ध मिल्ड या पूर्ण मिल्ड चावल, पॉलिशड या ग्लेज़ड हो या नहीं (पारबॉयल्ड चावल और बासमती चावल के अलावा)	शून्य”।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/152/2024-टीआरयू]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

टिप्पणीः - मूल अधिसूचना संख्या 27/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 01 मार्च, 2011 को सा.का.नि. सं. 153(अ), दिनांक 01 मार्च, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 43/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 13 सितम्बर, 2024, जिसे सा.का.नि. सं. 573 (अ), दिनांक 13 सितम्बर, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2024

No. 44/2024-Customs

G.S.R. 600(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 27/2011-Customs, dated the 1st March, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 153(E), dated the 1st March, 2011, namely :-

In the said notification, in the TABLE,

(i) after S. No. 6, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“6A.	1006 10 90	Rice in the husk (paddy or rough)	10%
6B.	1006 20 00	Husked (brown) rice	10%
6C.	1006 30 10	Rice, parboiled	10%”;

(ii) after S. No. 7, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"7A.	1006 30 90	Semi-milled or wholly-milled rice, whether or not polished or glazed (other than Parboiled rice and Basmati rice)	Nil".

2 This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190354/152/2024-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note: - The principal notification No. 27/2011-Customs, dated the 1st March, 2011, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 153(E), dated the 1st March, 2011, and was last amended *vide* notification No. 43/2024-Customs, dated the 13th September, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 573(E), dated the 13th September, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.09.27 21:38:05 +05'30'